ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर केस सं0–35/2022–23

मसूदन मिर्धा बनाम् जीतन मिर्धा वगै0

—: आदेश :—

17-02-2023

वर्त्तमान वाद आवेदक मसूदन मिर्धा, पे0–रामचरण मिर्धा, साकिन–मोहनपुर, थाना–महागामा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा–महोनपुर नं0–716, जमाबंदी नं0–30, दाग नं0–81, 82, 87, 88, 90, 91, 190, 193, 89, 133, 134, 135, 136, 137 एवं 191 रकवा 04–08–12 धूर भूमि से विपक्षी (1) जीतन मिर्धा, पे0–स्व0 गुलाबी मिर्धा, (2) संजय मिर्धा, (3) शिवकुमार, दोनों पे0–जीतन मिर्धा, (4) राम प्रसाद मिर्धा, पे0–स्व0 गुलाबी मिर्धा, (5) अजय मिर्धा, (6) राज कुमार मिर्धा, दोनो पे0–राम प्रसाद मिर्धा, साकिन–मोहनपुर, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–1665/रा0, दिनांक–20.12.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि विवाद उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज रहने के कारण आपसी बँटवारा से संबंधित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

17.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

17.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Subhash Chandra
18/4/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.19 13:43:13 +05:30
Location: 192.168.91.157